संख्या- 82/2023/784/छप्पन-2023-31/2016(Road)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2023

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत भूमि की पुनर्निर्धारित दर के अन्तर की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 53/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 07 जून, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत भूमि (65.5138 है0) की पुनर्निर्धारित दर रू0 3100.00 प्रतिवर्ग मीटर एवं भूमि के कुल मूल्यांकन के अन्तर की धनराशि रू0 48,62,30,567/- (रूपए अड़तालीस करोड़ बासठ लाख तीस हजार पाँच सौ सरसठ मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय कराने/वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर को सड़क सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक स्पर से दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस-वे परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत 65.5138 है0 निजी भूमि के अर्जन प्रस्तावों के सापेक्ष अधिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर की कुल धनराशि रू0 1,76,75,14,186/- (रूपए एक अरब छिहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार एक सौ छियासी मात्र), जिसके अन्तर्गत अर्जित भूमि के सापेक्ष अर्जन व्यय के मद में 10 प्रतिशत की धनराशि अंकन रू0 16,06,83,108.00 (रूपए सोलह करोड़ छः लाख तिरासी हजार एक सौ आठ मात्र) भी सम्मिलित है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 11/2023/115/छप्पन-2023-31/2016 (Road) दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत भूमि (65.5138 है0) की पुर्ननिर्धारित दर रू0 3100.00 प्रतिवर्ग मीटर के अनुसार भूमि के मूल्यांकन के अन्तर की धनराशि रू0 48,62,30,567/- (रूपए अड़तालीस करोड़ बासठ लाख तीस हजार पाँच सौ सरसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि अर्थात् रू0 48,62,30,567/- (रूपए अड़तालीस करोड़ बासठ लाख तीस हजार पाँच सौ सरसठ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) अवमुक्त की गई धनराशि से सम्बन्धित व्यय का विवरण जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) शासनादेश संख्या 11/2023/115/छप्पन-2023-31/2016 (Road) दिनांक 03 फरवरी, 2023 में इंगित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 48,62,30,567/- (रूपए अड़तालीस करोड़ बासठ लाख तीस हजार पाँच सौ सरसठ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्बन्धित को यथा आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7- 104/दस-2023-24, दिनांक 10 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 82/2023/784(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके पत्रांक 8671/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0)/यमुना/गौतमबुद्धनगर दिनांक 31 मई, 2023 के सन्दर्भ में।

8- जनरल मैनेजर(टी) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सी एम यू मथुरा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, निगमित कार्यालय: जी- 5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075.

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

10- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

12- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।